

(53)

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(तकनीकी शिक्षा निदेशालय)

पत्रांक:- 01उ0त0 BIA अरा0-23/16 -39

/राँची, दिनांक:-12.01.2022

प्रेषक,

डॉ० अरुण कुमार,
निदेशक, तकनीकी शिक्षा

सेवा में,

निदेशक,
बी0आई0टी0, सिंदरी।

सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान, झारखण्ड।

विषय:- चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन अग्रसारण करने के संबंध में दिशा-निदेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संस्थान के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदन को संस्थानीय स्तर से जांचे बिना अग्रेतर कार्रवाई हेतु सीधे विभाग/निदेशालय को अग्रसारित कर दी जाती है।

इस संबंध में उल्लेख करना है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निम्न प्रक्रिया के साथ आवेदन अग्रसारित किया जाना आवश्यक है:-

1. पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा करायी गयी चिकित्सा संबंधी सभी मूल चिकित्सा विपत्र, Final Bill एवं Detail Bill आदि में कराये गये चिकित्सा संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एवं मुहरांकित होना आवश्यक है।
2. कराये गये चिकित्सा का Discharge Report संलग्न किया जाना आवश्यक है।
3. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-354(10), दिनांक-15.09.2006 एवं पत्रांक-753(6), दिनांक-25.10.2014 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
4. प्रत्येक चिकित्सा विपत्र की सूची तैयार कर कुल राशि का उल्लेख करते हुए स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

परन्तु संस्थान प्रमुखों द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों की जांच किये बिना आवेदन को विभाग/निदेशालय को अग्रसारित कर दिया जाता है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-354(10), दिनांक-15.09.2006 एवं पत्रांक-753(6), दिनांक-25.10.2014 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप भी प्रस्ताव अंकित नहीं रहता है, जिससे व्यर्थ ही विभाग/निदेशालय/स्वास्थ्य निदेशालय का बहुमूल्य समय एवं संसाधन की क्षति होती है।

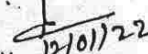
यह प्रक्रिया प्रायः सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी मामले में देखी जा रही है।

अतः निदेश दिया जाता है कि संस्थान के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदन को अग्रसारित करने से पूर्व उपरोक्त कंडिका में अंकित दिशानिदेश का अनुपालन कर स्पष्ट प्रस्ताव एवं अनुशंसा विभाग/निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0-स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-354(10), दिनांक-15.09.2006

एवं पत्रांक-753(6), दिनांक-25.10.2014

विश्वासभाजन


(डॉ० अरुण कुमार)

निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

कृ०पू०उ०

152

ज्ञापक:-01उ0त० BIT अरा0-23/16-29

/राँची, दिनांक:-12.01.2022

प्रतिलिपि:-विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

12/01/22

(डॉ० अरुण कुमार)

निदेशक, तकनीकी शिक्षा।